उत्तर प्रदेश शासन

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2

संख्या-क0नि0–2–1529/ग्यारह-9(15)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(60)-2017

लखनऊ:: दिनांक:: 23 अक्टूबर, 2017

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 23 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, परिषद की सिफारिशों पर, राज्यपाल सरकारी अधिसूचना संख्या क0नि0-2-1414/ग्यारह-9(15)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(48)-2017 दिनांक 27 सितम्बर, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं; अर्थात्

संशोधन

पूर्वोक्त अधिसूचना में, सारणी में –

(i) क्रम संख्या 9 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम और प्रविष्टियाँ रख दी जायेंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)
"9	टैक्सटाइल (हथकरघा उत्पाद), हाथ से बनी शालें, स्टोल और स्कार्फ	50, 58, 61, 62, 63 सहित";

(ii) क्रम संख्या 28 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम और प्रविष्टियाँ स्तम्भवार बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)
"29	श्रृंखला टांका	कोई अध्याय
30	क्रिवेल ,नामदा ,गाबा	कोई अध्याय
31	खपच्ची भिसा उत्पाद	कोई अध्याय
32	तोरण	कोई अध्याय
33	शोला से बनी चीजें	कोई अध्याय"।

2- यह अधिसूचना तारीख 13 अक्टूबर, 2017 को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी ।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
अपर मुख्य सचिव